भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1014

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

19 माघ, 1944 (शक)

वेपनाइज्ड टेक्नोलॉजी के विरुद्ध आईटी नीति

1014. श्रीमती अपरूपा पोद्दार :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऑनलाइन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा हैक के उल्लंघन के हाल के मामलों के आलोक में वेपनाइज्ड टेक्नोलॉजी के विरुद्ध कठोर आईटी नीति के लिए मसौदा तैयार करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियमों संशोधन करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह है। इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ, डिजिटल नागरिक या नागरिकों को उपयोगकर्ता के नुकसान, गलत सूचना और आपराधिकता के संपर्क में आने की संभावना भी बढ़ गई है। सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में पूरी तरह से जागरूक और सचेत है, और साइबर हमलों के प्रति नागरिकों की भेद्यता को कम करने के लिए उपाय किए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का एक मसौदा तैयार किया है, जो राष्ट्रीय साइबर स्पेस की सुरक्षा के मुद्दों को समग्र रूप से देखता है।

(ख) : केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") में संशोधन को अधिसूचित किया है। ये नियम बिचौलियों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि किस प्रकार की जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा किया जाना है। बिचौलियों को उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है, जब उन्हें या तो अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से लाया जाता है। बिचौलियों द्वारा आईटी नियम, 2021 में दिए गए कार्य का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्व से अपनी छूट खो देंगे और इस तरह के कानून के अनुसार परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। इस तरह के कार्य में निम्न शामिल हैं:

(i) अपने नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते को अपनी वेबसाइट और ऐपपर प्रकाशित करना।

(ii) उक्त नियमों के बार में अपने उपयोगकर्ताओं को सूचित करना और उपयोगकर्ताओं को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, संचारित करने, स्टोर करने, अपडेट करने या साझा करने के लिए उचित प्रयास करने के लिए, जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित जानकारी है, या अश्लील है, या किसी दूसरे की निजता पर आक्रमण करता है, या लिंग के आधार पर अपमान या उत्पीड़न करता है, या नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक है, या मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है, या धर्म या जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है हिंसा भड़काने का इरादा, या बच्चे के लिए हानिकारक है, या बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता है, या भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालता है, या जांच को रोकता है, या किसी कानून का उल्लंघन करता है को रोकने के प्रयास करना।

(iii) कानूनी रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर कानून के तहत या साइबर सुरक्षा घटनाओं की रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के लिए जानकारी या सहायता प्रदान करना।

(iv) एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर सुलझाना।

(v) यदि कोई मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है (अर्थात, एक मध्यस्थ जिसके भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं), मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के संदर्भ में अतिरिक्त रूप से निरीक्षण कार्य करने के लिए, 24x7 समन्वय हेतु नोडल संपर्क व्यक्ति का प्रवर्तन एजेंसियां और एक रेज़िडेंट शिकायत अधिकारीके साथ मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना आदि ।

इसके अलावा, ऐसी शिकायतों पर शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ उपयोगकर्ता को अपील करने में सक्षम बनाने के लिए तीन शिकायत अपील समिति का गठन किया गया है।

(ग): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (" आईटी अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों में साइबर स्पेस में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान हैं । आईटी अधिनियम कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों को दंडित करता है, जिसमें पहचान की चोरी (धारा 66ग), शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघन (धारा 66ङ), इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67) , और यौन सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट कार्य (धारा 67क और 67ख), आदि। ऐसा प्रत्येक अपराध कारावास के साथ दंडनीय है जो तीन साल या पांच साल तक बढ़ सकता है, और आईटी अधिनियम की धारा 77ख के अनुसार ऐसे साइबर अपराध संज्ञेय अपराध हैं। ये अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दंडनीय विभिन्न संज्ञेय अपराधों के अतिरिक्त हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार (धारा 354घ) का उपयोग करके पीछा करने का संज्ञेय अपराध ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार, संज्ञेय अपराधों की रोकथाम और जांच पुलिस द्वारा की जानी है, और संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' राज्य का विषय है । जैसे, राज्य पुलिस विभागों के माध्यम से ऐसे साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच आदि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जो कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध और उनके सोशल मीडिया खातों की हैकिंग शामिल है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है ताकि नागरिकों को महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके।

******